

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में 'महिला सम्मान' कार्यक्रम आयोजित

किसी भी सफलता के पीछे एक नारी की ताकत : डॉ. दिलीप जायसवाल

जिला संवाददाता

रोजनामा इंडो गल्फ

● नारी धर की रोशनी : डॉ.

दिलीप जायसवाल

● आधी आबादी में समाज

सुजन करने की शक्ति :

डॉ. दिलीप जायसवाल

● भाजपा अध्यक्ष डॉ.

जायसवाल ने दिया भरोसा,

सगटन और सरकार में

आधी आबादी की

सहभागिता होगी

● आज जिस तरह महिलाओं

को आगे लाई जाएगी का काम

किया जा रहा है, वह

ऐतिहासिक : सप्नां घौंघरी

● महिलाओं का सम्मान और

उसका उत्थान हमारी

प्राथमिकता : विजय सिन्हा

पटना, 8 मार्च : बिहार भाजपा के

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल

ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा

आयोजित कार्यक्रम को संबोधित

करते हुए कहा कि इस वायर पर

पटना, 8 मार्च : बिहार भाजपा के

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल

ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा

आयोजित कार्यक्रम को संबोधित

करते हुए कहा कि इस वायर पर



कभी प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे एक नारी की ताकत होती है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय

महिला दिवस की बधाई और शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि 1975 से हम सभी प्रत्येक आठ मार्च को भाजपा दिवस मनाते हैं। आज का दिन नारी के अंदर विश्वास, खुशी और अपने सपनों को साकार करने का उत्सव मनाने का दिन है।

भाजपा अध्यक्ष डॉ. जायसवाल ने

कहा कि नारी नारायणी भी है तो शुभांडी भी है। उन्होंने जेर देकर कहा कि आधी आबादी की सहभागिता की चिंता समाज को करना आवश्यक है। जब भी महिलाओं को पौका मिला, दुनिया भर में ही नहीं, इससे आगे भी परचम लहराने का काम किया। सही अर्थों

में उन्हें रोक पाने की शक्ति किसी में नहीं है। महिलाएं अगर व्यक्ति गढ़ती हैं तो हाँ युनीती को स्वीकार भी करती हैं। जायसवाल में हम सभी को यह जिम्मेदारी है कि आधी आबादी की सहभागिता बढ़ाई जाएगी। इसकी शुरूआत तो कहीं न कहीं से करनी होगी। उन्होंने रोगी कल्याण समिति और 20 सूची समिति में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने का तात्पर्य।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आखरी देखरेह करके राजनीति में हिस्सेदारी की शुरूआत कर दी है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यपालिका में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ा दी है।

उप मुख्यमंत्री सप्तराषी दिवस मनाया जा रहा है। इसमें दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार महिलाएं अगे



की ओर बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह महिलाओं को आगे लाने का काम किया जा रहा है, वह ऐतिहासिक है।

उन्होंने विश्व परंतु कसते हुए कहा कि जब तक आधी आबादी जायेगी नहीं, तब तक पूरा अधिकार नहीं मिलेगा। महिलाओं का समान और संचालन का अधिकार जायेगा। इसमें लगातार महिलाओं की संबोधित किया जाएगा।

अधिनियम हो तो या डोन दोरी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सभी का लक्ष्य महिला सशक्तिकरण है। आज महिलाओं को फिर से उस संचाल में हम अप्रणीत बनाना चाहते हैं, जो इस देश को विश्ववरु बनाएगा।

महिला मोर्चा की अध्यक्ष सह संसद धर्मशीला गुप्ता ने मंच संचालन किया। इस मौके पर मंत्री मंगल पांडेय और नीतीश मिश्र ने भी लोगों को संबोधित किया।

बॉबी के निवास स्थान पर अप्तार पार्टी का आयोजन



जिला संवाददाता
रोजनामा इंडो गल्फ
एम नर्मदूदीन आजाद

समस्तीपुर। शहर के धर्मपुर स्थित जदू नेता तारिक रहमान उक बॉबी के निवास स्थान पर दावत - ए - अक्तर रात पार्टी का आयोजन किया गया। दावत

- अप्तार पार्टी में जिले के जाने पहचाने पत्रकारों ने शिरकत की। इधर पूछे जाने पर जदू नेता तारिक रहमान उक बॉबी के बताया कि इस समय माहे

बॉबी के लिए अप्तार पार्टी का आयोजन किया गया। शिरकत करने वाले लोगों ने अफतार पार्टी के लिए विश्वास में अपना विश्वास के स्तर के देखे। अप्तार पार्टी के मोके पर जदू नेता तारिक रहमान उक बॉबी के अलावा, शारिक रहमान उक बॉबी के अलावा, अतिकुर रहमान, फैसल अहमद, बवासी ठाकुर, आदिल रहमान तथा अलम तनहा, अम प्रकाश चूचुन, एम नर्मदूदीन आजाद, विस्मिल आरफी, मो सफाराज फजिलपुरी, जहांगीर अलम, खेड़ीब अहमद, कैसर खां, शाहिल समीक, मो चांद बाबू अदि मोजूद थे।

रामदयाल चौक से एनएचको जोड़ने वाला रोड जर्जर, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, सड़क निर्माण कराने की मांग : उपचेयर मैन ने की

जिला संवाददाता

रोजनामा इंडो गल्फ

एम नर्मदूदीन आजाद

रामदयाल चौक समेत कई स्थानों पर

बड़ा गड़ा गड़ा बना हुआ है। इसके

निर्माण को लेकर विचार में प्रत्यारोपी मंडी

में आपोक चौधरी को लिखित अवेदन देकर शेष प्रत्यारोपी ही सड़क निर्माण

कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि निर्माण को लेकर विचार में प्रत्यारोपी मंडी अवेदन देकर शेष प्रत्यारोपी ही सड़क निर्माण की मांग की है। उन्होंने बताया कि समर्पण लोकसभा के अपने उत्तर एवं विचार के सब्जी मंडी तक ले जाने के लिए उक जर्जर सड़क से गुजरना पड़ता है। ताजपुर बाजार चौक में बड़े बाहन का प्रवेश वर्जिं होने के कारण ताजपुर मालवाहक बाहन उक रासे से होकर एनएच 28 पर पहुंचती है। रामदयाल

जानवे के लिए उक मार्ग का उपयोग करते हैं। साथ ही फोहपुर, मोरवा, चक मधील आदि गांव के सेकड़ों लोग बाजार जाने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं। इस दौरान बाई बार बाक एवं सांचलन का अधिकार जायेगा।

सड़क एवं सांचलिक सभार दुर्घटना का शिकार होकर चाटिल हो चुका है जिसके समेत आलोगों को सड़क पर चैलान मुश्किल है। बताते चलाने में काफी आकांक्षा है। यानी ये लोगों को अपने उत्तर एवं विचार के साथ सांचलिक सभार दुर्घटना का शिकार होकर चाटिल हो चुका है जिसके साथ सांचलिक सभार दुर्घटना का अधिकार जायेगा।

जानवे के लिए उक मार्ग की अवधि ताजपुर से गुजरना पड़ता है। इसनामी नहीं करना चाहिए। यहाँ ग्रामीण में रेक व्हाइट होने से हाई ट्रैफिक के कारण उक मार्ग की अवधि ताजपुर से गुजरना पड़ता है। इसनामी नहीं करना चाहिए।

जानवे के लिए उक मार्ग की अवधि ताजपुर से गुजरना पड़ता है। इसनामी नहीं करना चाहिए।

जानवे के लिए उक मार्ग की अवधि ताजपुर से गुजरना पड़ता है। इसनामी नहीं करना चाहिए।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न



जिला संवाददाता

रोजनामा इंडो गल्फ

एम नर्मदूदीन आजाद

समस्तीपुर। जिले के

शिक्षिका जानवी सिंह और दिक्षा

कुमारी ने अपने विचार साझा किया।

शिक्षिका जानवी सिंह और दिक्षा

कुमारी ने अपने विचार साझा किया।

शिक्षिका जानवी सिंह और दिक्षा</

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य आयोजन उत्कृष्ट कार्य करनेवाली महिलाओं को किया गया सम्मानित

संचाददाता
रोजनामा इंडो गल्फ
मो. अबु बकर सिद्धीकी
दरभंगा : 08 मार्च, 2025 :- प्रेषणगृह दरभंगा में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार तथा महिला बाल विकास निगम के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी, विकास आयुक्त चिंगुपुर कुमार अपर समारता जिला लोक शिक्षायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, उपनिदेशक जनसंघक सत्येंद्र प्रसाद, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस डॉ. चान्दनी सिंह, लोक एवं संस्कृति पदाधिकारी चंदन कुमार, संयुक्त रूप से दीप प्रज्ञलन किया।

जिलाधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधायी दिया।

जिलाधिकारी ने कहा की महिला दिवस मना कर हम इस बात के लिए संकल्प लेते हैं कि हम एक



माज की रचना करेंगे, एक राज्य और, राष्ट्र की रचना करेंगे कि जहां पर महिलाओं और पुरुषों का बराबर का हक होगा, बराबर का समान होगा और उन्हें हम दृष्टिकोण से बराबर समझेंगे।

उन्होंने कहा कि जीवन के दौर में चाहे महिला हो या पुरुष हो कहीं भी वो एक दूसरे के पुकार है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को समाज में समान देने एवं बराबर

की अधिकार देने की ज़रूरत है। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में महिला सशक्तिकरण शामिल है। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण व उनके उन्नति के लिए तथा उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी पंचायती राज संस्थाओं में

बिहार की महिला को आरक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के सरकारी क्षेत्र के नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, एक दुर दर्शक कदम है, जिसका लाभ समाज में महिलाओं को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कुछ रूप से इस प्रण एवं संकल्प को दोहराने का समय है, लेकर सम्मानित किया गया।

अर्चना सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, शिवगंगा देवी, रामिनी कुमारी, इंदिरा कुमारी एवं अर्पणा कुमारी सामाजिक कार्यकर्ता इन्होंने जिले में नारी सशक्तिकरण को दिया निवेदक - राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, सिवान

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, सिवान के द्वारा आयोजित होली मिलन



श्री मंगल पाण्डेय
मानवीय मंत्री विधि राज सामाजिक विभाग, बिहार सरकार
दिनांक - 09.03.2025 (समय - सुबह 11:30 बजे)
कार्यक्रम स्थल - जिला भाजपा कार्यालय, चाँप, सिवान
निवेदक - राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, सिवान

वरिष्ठसंचाददाता रोजनामा इंडो गल्फ
दिनांक: 09 मार्च 2025 (रविवार)
समय: प्रातः 11:30 बजेसान:

भाजपा जिला कार्यालय, चाँप एवं विधि मंत्री, हम सभी के ढाला, सिवान सुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सिवान के पांडेय जी की गरिमायी उपस्थिति रहेगी।

मधुबनी इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज मधुबनी नए भवन का मिली ट्रस्ट के

आसिफ अहमद एवं ट्रस्टी प्रबंधनिदेशक तौसीफ अहमद के द्वारा उद्घाटन किया गया



वरिष्ठसंचाददाता
रोजनामा इंडो गल्फ

मो. अबु बकर सिद्धीकी

मधुबनी मधुबनी इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज मधुबनी जो मिली ट्रस्ट के अधीन

संचालित है उसके नए भवन का आज मिली ट्रस्ट के आसिफ अहमद एवं ट्रस्टी प्रबंधनिदेशक तौसीफ अहमद के

द्वारा उद्घाटन किया गया।

इस अवसर पर मिली ट्रस्ट के चैरमैन संचालन कार्यालय सांसद डॉ. वैरैन

संचालन के आसिफ अहमद एवं अपने दोस्रे में झाँके, वैरैन

लेकर जुलूस निकाला। जुलूस विभिन्न मार्गों से नारे लगाकर गुजारे हुए पैक्स चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए, अपने अध्यक्ष तथा संबोधित करते हुए जारी की गयी। सीओ श्री प्रकाश ने कहा कि होली का पर्व वार्षीय भी की जायेगी। सीओ श्री प्रकाश ने कहा कि होली का पर्व वार्षीय भी की जायेगा। वहीं पकड़ जाती है अधिकांश छात्राओं को मधुबनी चिकित्सा विद्यालय अस्पताल पर्यावरणीय समाजीय नारी के अध्यक्ष तथा छात्राओं में जुलूस विभिन्न मार्गों से नारे लगाकर गुजारे हुए पैक्स चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए, अपने अध्यक्ष तथा संबोधित करते हुए जारी की गयी। श्री प्रकाश ने कहा कि होली का पर्व वार्षीय भी की जायेगा। वहीं पकड़ जाती है अधिकांश छात्राओं को मधुबनी चिकित्सा विद्यालय अस्पताल पर्यावरणीय समाजीय नारी के अध्यक्ष तथा छात्राओं में जुलूस विभिन्न मार्गों से नारे लगाकर गुजारे हुए पैक्स चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए, अपने अध्यक्ष तथा संबोधित करते हुए जारी की गयी। श्री प्रकाश ने कहा कि होली का पर्व वार्षीय भी की जायेगा। वहीं पकड़ जाती है अधिकांश छात्राओं को मधुबनी चिकित्सा विद्यालय अस्पताल पर्यावरणीय समाजीय नारी के अध्यक्ष तथा छात्राओं में जुलूस विभिन्न मार्गों से नारे लगाकर गुजारे हुए पैक्स चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए, अपने अध्यक्ष तथा संबोधित करते हुए जारी की गयी। श्री प्रकाश ने कहा कि होली का पर्व वार्षीय भी की जायेगा। वहीं पकड़ जाती है अधिकांश छात्राओं को मधुबनी चिकित्सा विद्यालय अस्पताल पर्यावरणीय समाजीय नारी के अध्यक्ष तथा छात्राओं में जुलूस विभिन्न मार्गों से नारे लगाकर गुजारे हुए पैक्स चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए, अपने अध्यक्ष तथा संबोधित करते हुए जारी की गयी। श्री प्रकाश ने कहा कि होली का पर्व वार्षीय भी की जायेगा। वहीं पकड़ जाती है अधिकांश छात्राओं को मधुबनी चिकित्सा विद्यालय अस्पताल पर्यावरणीय समाजीय नारी के अध्यक्ष तथा छात्राओं में जुलूस विभिन्न मार्गों से नारे लगाकर गुजारे हुए पैक्स चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए, अपने अध्यक्ष तथा संबोधित करते हुए जारी की गयी। श्री प्रकाश ने कहा कि होली का पर्व वार्षीय भी की जायेगा। वहीं पकड़ जाती है अधिकांश छात्राओं को मधुबनी चिकित्सा विद्यालय अस्पताल पर्यावरणीय समाजीय नारी के अध्यक्ष तथा छात्राओं में जुलूस विभिन्न मार्गों से नारे लगाकर गुजारे हुए पैक्स चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए, अपने अध्यक्ष तथा संबोधित करते हुए जारी की गयी। श्री प्रकाश ने कहा कि होली का पर्व वार्षीय भी की जायेगा। वहीं पकड़ जाती है अधिकांश छात्राओं को मधुबनी चिकित्सा विद्यालय अस्पताल पर्यावरणीय समाजीय नारी के अध्यक्ष तथा छात्राओं में जुलूस विभिन्न मार्गों से नारे लगाकर गुजारे हुए पैक्स चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए, अपने अध्यक्ष तथा संबोधित करते हुए जारी की गयी। श्री प्रकाश ने कहा कि होली का पर्व वार्षीय भी की जायेगा। वहीं पकड़ जाती है अधिकांश छात्राओं को मधुबनी चिकित्सा विद्यालय अस्पताल पर्यावरणीय समाजीय नारी के अध्यक्ष तथा छात्राओं में जुलूस विभिन्न मार्गों से नारे लगाकर गुजारे हुए पैक्स चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए, अपने अध्यक्ष तथा संबोधित करते हुए जारी की गयी। श्री प्रकाश ने कहा कि होली का पर्व वार्षीय भी की जायेगा। वहीं पकड़ जाती है अधिकांश छात्राओं को मधुबनी चिकित्सा विद्यालय अस्पताल पर्यावरणीय समाजीय नारी के अध्यक्ष तथा छात्राओं में जुलूस विभिन्न मार्गों से नारे लगाकर गुजारे हुए पैक्स चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए, अपने अध्यक्ष तथा संबोधित करते हुए जारी की गयी। श्री प्रकाश ने कहा कि होली का पर्व वार्षीय भी की जायेगा। वहीं पकड़ जाती है अधिकांश छात्राओं को मधुबनी चिकित्सा विद्यालय अस्पताल पर्यावरणीय समाजीय नारी के अध्यक्ष तथा छात्राओं में जुलूस विभिन्न मार्गों से नारे लगाकर गुजारे हुए पैक्स चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए, अपने अध्यक्ष तथा संबोधित करते हुए जारी की गयी। श्री प्रकाश ने कहा कि होली का पर्व वार्षीय भी की जायेगा। वहीं पकड़ जाती है अधिकांश छात्राओं को मधुबनी चिकित्सा विद्यालय अस्पताल पर्यावरणीय समाजीय नारी के अध्यक्ष तथा छात्राओं में जुलूस विभिन्न मार्गों से नारे लगाकर गुजारे हुए पैक्स चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए, अपने अध्यक्ष तथा संबोधित करते हुए जारी की गयी। श्री प्रकाश ने कहा कि होली का पर्व वार्षीय भी की जायेगा। वहीं पकड़ जाती है अ

अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उच्छृंखलता नामंजूर



ललित गग

यह विडम्बनापूर्ण एवं हमारी न्याय प्रक्रिया की विसंगति ही है कि एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इस्तेमाल इन 'मियां-टियां' और 'गाकिस्तानी' जैसे शब्दों से

जुड़े मुकदमे को निचली
अदालत से सर्वोच्च
न्यायालय तक का सफर
तय करने में लगभग चार
साल लगे, मगर दोनों
पक्षों ने किसी पड़ाव पर
यह समझदारी दिखाने की
कोशिश नहीं की कि यह
सिर्फ अहं की लड़ाई है।
कांग्रेस सांसद इमरान
प्रतापगढ़ी की एक कविता
पर गुजरात पुलिस ने
पाहार्डार्डार्ड टर्ज की थी।

ਉਕਾਊਂਡ ਪੜ੍ਹ ਪਾ।

संपादकीय

पीओके के लिए वैश्विक समर्थन

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान जम्मू-कश्मीर के चुराएं गए हिस्से की वापसी के बाद होगा जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। वह याद रखना चाहिए कि 22 फरवरी, 1994 को भारत की संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें दोहराया गया था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, और रहेगा। पाकिस्तान को वह हिस्सा छोड़ना होगा जिस पर उसने कब्जा जमा रखा है। वास्तव में जयशंकर की टिप्पणी संसद के इसी प्रस्ताव की प्रतिध्वनि है। जयशंकर ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत का पहला प्राथमिक कदम था। सूबे में विकास, आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक न्याय की बहाली दृसरा कदम और यहां निष्पक्ष चुनाव कराना तीसरा कदम था। वास्तव में भारत अच्छी तरह से जानता है कि पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर उसके लंबे समय से चले आ रहे दावे के अलावा पाकिस्तान का भी दावा है और स्वयं उन कश्मीरियों का अपना दावा है जो उस हिस्से की आजादी की मांग कर रहे हैं या भारत में विलय के लिए मांग कर रहे हैं। चौथी दावा चीन का भी है जिसने वहां भारी निवेश किया है। इस अर्थ में जयशंकर का कहना जायज है कि पीओके भारत के नियंत्रण में आ जाए तो वह भी भारतीय जम्मू-कश्मीर की तरह विकास के रास्ते पर बढ़ सकता है। परंतु व्यवहार में यह काम इतना आसान नहीं है। हाल-फिलहाल यह हो सकता है कि पीओके में पाकिस्तानी सरकार के जो जुल्म बढ़ रहे हैं और जिनसे वहां के निवासी आक्रांत रहे हैं, उनके लिए वैश्वक समर्थन जुटाया जाए और स्वयं भारत भी उन्हें स्पष्टतः आश्वासन दे कि वह उनकी जायज मांगों का समर्थक है। गिलगिट-बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों ने अपने क्षेत्र पर पाकिस्तान के बलात कब्जे को कभी स्वीकारा नहीं है। यहां राजनीतिक अधिकारों के लिए लोकतात्रिक आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान की कुल भूमि का 40 फीसद हिस्सा यहीं है, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब एक करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस इलाके में सर्वाधिक बलूच हैं। इसलिए इसे गिलगिट-बलूचिस्तान भी कहा जाता है। भारत को पीओके के निवासियों की पूरी चिंता है। लेकिन भारत का यह पक्ष केवल बातों में ही नहीं, व्यवहार में भी सामने आना चाहिए। पाकिस्तान के

चिंतन-मनन

तुम्हारी सम्पदा है निष्ठा

यदि तुम सोचने हो कि ईश्वर में तुम्हारी निष्ठा ईश्वर का कुछ हित कर रही है, तो यह भूल है। ईश्वर या गुरु में तुम्हारी निष्ठा ईश्वर या गुरु का कुछ नहीं करती। निष्ठा तुम्हारी सम्पदा है। निष्ठा तुम्हें बल देती है। तुम्हें स्थिरता, केंद्रीयता, प्रशांति और प्रेम लाती है। निष्ठा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। यदि तुम्हें निष्ठा का अभाव है, तुम्हें निष्ठा के लिए प्रार्थना करनी होगी। परन्तु प्रार्थना के लिए निष्ठा की आवश्यकता है यह विरोधाभासी है। लोग संसार में निष्ठा रखते हैं परन्तु समस्त संसार सिर्फ साक्षुन का बलबुला है लोगों की स्वयं में निष्ठा है परन्तु वे नहीं जानते कि वे स्वयं कौन हैं! लोग सोचते हैं कि ईश्वर में उनकी निष्ठा है परन्तु वे सचमुच नहीं जानते कि ईश्वर कौन है।

निष्ठा तीन प्रकार की होती है- पहली है स्वयं में निष्ठा- स्वयं में निष्ठा के बिना तुम सोचते हो, मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं, मैं कभी इसके जिंदगी से मुक्त नहीं हो पाऊँगा। दूसरी है संसार में निष्ठा-संसार में तुम्हें निष्ठा रखनी ही होगी वरना तुम एक इन्च भी नहीं बढ़ सकते। यदि तुम सब परामर्श शक करोगे, तब तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता।

तीसरे ईश्वर में निष्ठा रखो, तभी तुम विकसित होगे। ये सभी निष्ठाएं आपसमें जुड़ी हैं अत्येक को मजबूत होने के लिए तुममें तीनों ही होनी चाहिए। यदिए तुम एक पर भी शक करोगे, तुम सब पर शक करना आरम्भ कर दोगे। ईश्वर, संसार और स्वयं के प्रति निष्ठा का अभाव भय लाता है।

निष्ठा तुम्हें पूर्ण बनाती है-सम्पूर्ण संसार के प्रति निष्ठा होते हुए भी ईश्वर में निष्ठा न होने से पूर्ण शान्ति नहीं मिलती। यदि तुममें निष्ठा और प्रेम है तो स्वतः ही तुममें शान्ति और स्वतत्रता होगी। अत्यधिक अशान्त व्यक्तियों को समस्याओं से निकलने के लिए ईश्वर में निष्ठा रखनी चाहिए। निष्ठा और प्रेम विश्वास में फर्क है। निष्ठा आरम्भ है, विश्वास परिणाम है। स्वयं के प्रति निष्ठा स्वतंत्रता लाती है। संसार में निष्ठा तुम्हें मन की शांति देती ह। ईश्वर में निष्ठा तुम्हें प्रेम जागृत करती है।

स्वामी, प्रकाशक और मुद्रक डा० सरवर जमाल ने आर० डी० प्रिंट्स एंड पब्लिशर्स प्रा० लि० प्लाट नं० 16-17 पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रीयल एरिया, रोड नं० झ० 09 पटना झ० 800013 से छपवाकर कार्यालय 203 बी, ब्लाक रंजीत रेसिडेंसीज, साकेतपुरी, मछली गली, राजा बाजार पटना- 800014 से प्रकाशित किया। सम्पादक: श्रीमती शबाना प्रवीन पी० आर० बी० एकट के तहत खबरों की जिम्मेवारे मैनेजिंग एडिटर: डा० राजीव कुमार, स्थानीय सम्पादक: डा० नूतन कुमारी, उप सम्पादक: तबस्सुम नवाज PRGI NO:- BIHHIN/2023/86924 E-mail- Newsindogulf730@gmail.com, Mob-9472871824/8544031786 समस्त विवादों का निवारण पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे।



प्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई के दौरान जो कहा, वह जहां सवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से खासा अहम है वही एक संतुलित एवं आदर्श समाज व्यवस्था का आधार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े इन मामलों में जो फैसले किए हैं और इस दौरान जो टिप्पणियां की हैं, उसके निहितार्थों को समझने की आवश्यकता है। मंगलवार को 'मियां-टिया' और 'पाकिस्तानी' शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरला और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मुकदमे के आरोपी को इस आधार पर आरोप-मुक्त कर दिया कि वह भारतीय दंड सहिता की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध के बराबर नहीं है। वैसे, अदालत ने इन शब्दों के प्रयोग को गैर-मुनासिब माना। एक दूसरे रणनीति इलाहाबादिया से जुड़े मामले में अशीलता के आरोपों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संतुलित लेकिन धारदार-सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि न तो अशीलता के लिए कोई गुजाइश छोड़ी जानी चाहिए और न ही इसे अभिव्यक्ति की आजादी की राह में अनेंद्रेना चाहिए। रणनीति इलाहाबादिया को पॉडकास्ट जारी रखने की इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह नैतिकता और अशीलता की सीमा को लांघने की गलती न करें। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी इन जटिल हाँती स्थितियों को गंभीरता से लिया और अनेक धूंधलकों को साफ किया है। सर्वोच्च न्यायालय के इन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जुड़े फैसलों रूपी उजालों का स्वागत होना ही चाहिए।

अभिव्यक्ति का मर्म समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस बात का संदेश बिल्कुल स्पष्ट एवं न्यायसंगत है। हालांकि यह छिपी बात नहीं है कि पुलिस स्वायत्त तरीके से काम नहीं करती। अनेक कार्रवाइयां उसे सत्ता पक्ष के दबाव में करनी पड़ती हैं। इसलिए विपक्षी दलों एवं समूदाय विशेष के मामले में अगर अभिव्यक्ति की आजादी के कानून को हाशिये पर धकेल दिया या नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो हैरानी की बात नहीं। यह कम बड़ी विडंबना नहीं कि साहित्य और कलाओं में अभिव्यक्त विचारों की व्याख्या भी अदालतों को करनी पड़ रही है। सत्ताएं सदा से अपनी आलोचना से तल्ख हो जाती रही है, ऐसी जटिल स्थितियों में आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई मौकों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लम्बी बहसें हो चुकी हैं, आन्दोलन तक हुए, हिंसा एवं अराजकता का माहौल बना। हर बार अदालतें पुलिस को नसीहत देती हैं, अपने दखल से समझ एवं सोंख भी देती है ताकि संतुलित वातावरण बना रहे। मगर शायद उस पर संजीदी एवं संवेदनशीलता से अमल की जरूरत न तो पुलिस ने समझी और न उग्र एवं विध्वंसक शक्तियों ने। इसी का नतीजा है कि अब भी जब तब ऐसे मामले अदालतों में पहुंच जाते हैं, जिनसे किसी की भावना के आहत होने एवं विभिन्न समुदायों के आपसी सौहार्द-सद्द्वावना के खण्डित होने के आरोप लगते रहते हैं, जबकि वास्तव में उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। बेवजह नफरत, द्वेष एवं घृणा का माहौल बनता रहा है, चाहे वह फिल्मों के दृश्यों-संवादों, किसी राजनेता

के बयानों, धर्मगुरुओं के बोलों या साहित्य के किसी अंश को लेकर भावनाएं आहत करने या भड़काने के आरोप किसी ऐतिहासिक-मिथकीय प्रसंग को लेकर की गई टिप्पणी पर लगते रहे हैं। आज सोशल मीडिया जैसे मंचों के बेजा इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ रही है, फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब जैसे सोशल मंचों पर ऐसी सामग्री परोसी जा रही है, जो अशिष्ट, अभद्र, दिंसक, भ्रामक, राष्ट्र-विरोधी एवं समुदाय विशेष के लोगों को आहत करने वाली होती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को जोड़ना नहीं, तोड़ना है। इन सोशल मंचों पर ऐसे लोगों सक्रिय हैं, जो तोड़-फोड़ की नीति में विश्वास करते हैं, वे चरित्र-हनन और गाली-गलौच जैसी औछी हरकतें करने के लिये उद्यत रहते हैं तथा उच्छृंखल एवं विध्वंसात्मक नीति अपनाते हुए अराजक माहौल बनाते हैं। एक प्रगतिशील, सभ्य एवं शालीन समाज में इस तरह की हिंसा, अश्वेलता, नफरत और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन विडम्बना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चलते सरकार इन अराजक स्थितियों पर काबूल नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े मंचों के दुरुपयोग पर चिंता से सहमति जताते हुए भी संसरणिप और नॉर्म (मानदंड) के बीच के फर्क को रेखांकित किया। उसका कहना था कि सरकार को संबंध में गाइडलाइंस लानी चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वे अभिव्यक्ति की आजादी पर गैरजरूरी पार्बिद्यों का रूप न ले लें। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख की अहमियत इसलिए भी

बढ़ जाती है क्योंकि यह ऐसे समय सामने आया है जब देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विभिन्न समुदायों का विचलन, द्वेष एवं नफरत काफी बढ़ी हुई दिख रही है। शासन प्रशासन की ओर से इहें रोकने को कोशिशों में भी अक्सर अति-उत्ताह की झलक देखने को मिलती है। हालांकि सोशल मीडिया के ये मच स्वरूप लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक भूमिका भी निभाते देखे जाते रहे हैं। उन पर कड़ाई से बहुत सरे ऐसे लोगों के अधिकार भी बाधित होने का खतरा है, जो स्वरूप तरीके से अपने विचार रखते और कई विचारणीय मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। मगर जिस तरह बड़ी संख्या में वहाँ उपद्रवी, हिंसक, राष्ट्रीय और सामाजिक समरसता को छिन्न-भिन्न करने वाले तत्त्व सक्रिय हो गए हैं, उससे चिंता होना स्वाभाविक है। इससे जहाँ नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, वहीं इसके गलत इस्तेमाल की बेजा स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। शीर्ष अदालत ने याद दिलाया है कि इस अधिकार का ख्याल रखा जाए। उन पर अंकुश लगाने एवं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करना जरूरी है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के विरुद्ध वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। सरकार इनकी रक्षा के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के साथ-साथ सेंसरशिप के प्रति अपनी अनिच्छा को दोहराया। लेकिन यह भी कहा कि ऐसा विचार 'घटिया विचारों' और 'गंदी बातों' का लाइसेंस नहीं है। दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया में जिस पैमाने पर विष-वमन हो रहा है, उसने पुलिस की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। मगर उसकी कार्रवाईयां इसलिए प्रभावी नहीं होतीं, क्योंकि राज्य-दर-राज्य उनके पीछे के राजनीतिक पक्षपात भी स्पष्ट हो जाते हैं। राज्य पुलिस अक्सर सरकार विरोधी पोस्ट के मामले में तो तपतर दिखाती है, मगर सतारूढ़ दल से जुड़े लोगों की वैसी ही गतिविधियां वह नजर अंदाज कर देती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उचित ही गुजरात पुलिस को एहसास कराया है कि उसे असामाजिक तत्वों से निपटते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बुनियादी लोकतात्रिक मूल्य की रक्षा भी करनी है। जाहिर है, उच्छृंखल हुए बिना आजादी के उपयोग में ही नागरिक का भी भला है और समाज का भी।

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)
यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का
सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

अमेरिकी आर्थिक संकट का भारतीय एवं वैशिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डॉलर की ओर जाएगा। इससे भारतीय रुपये की कमजोरी और भी बढ़ना तय है। इस कारण भारत में महंगाई अधिक बढ़ने की संभावनाएं हैं। भारत में कच्चे तेल, इलेक्ट्रोनिक्स और अन्य आयातित वस्तुओं की कीमतें 10 से 15 फीसदी तक बढ़ सकती हैं। जिससे आम नागरिकों की रोजमर्झ की जरूरतें महंगी हो जाएंगी। अमेरिकी मंदी का असर भारतीय निर्यात कारोबार पर भी पड़ना तय है। भारत के अइटी सैक्टर, दवा उद्योग, कपड़ा और आभूषण क्षेत्र अमेरिकी बाजारों पर निर्भर है। यदि वहाँ मांग कम होती है, तो इन क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार पर संकट भारत में भी गहरा सकता है। इसी तरह, विदेशी निवेश में भी कमी आना तय है। भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक लगातार अपना निवेश निकाल रहे हैं। जिसके कारण भारत में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। यह स्थिति टैरिफ वार के पहले की है। जब टैरिफ वार शुरू होगा, तो उसके बाद क्या स्थिति होगी। इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। भारतीय स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को आने वाले समय में फंडिंग मिलना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका का यह संकट भारत के लिए एक अवसर भी बन सकता है। भारत सरकार घेरू उद्योग और बाजार को मजबूत करने के

मुनियोजित प्रयास युद्ध स्तर पर किए जाएं, तो भारत के लिए सुनहरा अवसर भी हो सकता है। भारत की आबादी उसके लिए बड़ी पूँजी बन सकती है। चीन की तर्ज पर भारत के बाजार को वैश्विक मांग के अनुसार विकसित किया जा सकता है। सरकार को नियांत में विविधता देने के लिये घेरलू उत्पादन को बढ़ावा देने और रुपये को वैश्विक बाजार में स्थिर बनाये रखने के लिए नई रणनीति बनानी होगी।

अमेरिका की आसन्न मंदी का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसकी गंभीरता इस पर निर्भर करेगी, विभिन्न देश कितनी कुशलता से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित कर पाते हैं। भारत को इस संकट के प्रति सतर्क रहकर दीर्घकालिक नीतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार को इस तरह से अपनी नीतियां बनानी होंगी, जिससे भारत में स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़े, नियांत व्यापार के लिए छोटे उत्पादकों और कारोबारियों को मौका मिले, इसका ध्यान रखना जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रप्रति डोनाल्ड ट्रॉप ने जिस तरह की नीतियां लागू करने की कोशिश की है इसका असर भारत सहित दुनिया के सभी देशों में पड़ने जा रहा है। चीन और यूरोप के देशों ने अमेरिका की इस नई नीति के विरोध में अपनी कमर कस ली है। अमेरिका को वह बराबरी से जवाब देने की तैयारी कर

रहे हैं। भारत सरकार ने अपनी किसी नीति का खुलासा नहीं किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दो महीने में भारत को लेकर जो नीति बनाई है और कार्रवाई की है, उसके बारे में भारत सरकार का मौन साध लेना भारत के साथ-साथ वैश्विक कूटनीतिक एवं सामरिक संबंधों को भी प्रभावित कर रहा है। भारत सरकार दो पाटों के बीच में फँसकर रह गई है। भारत सरकार अभी तक समझ ही नहीं पा रही है, उसे स्थिति का मुकाबला किस तरह से करना है। आर्थिक क्षेत्र में भारत सरकार की जो नीतियां हैं। वह लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था को नीचे की ओर ले जा रही हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को अच्छे आर्थिक विशेषज्ञों की सलाह अर्थव्यवस्था को लेकर लेनी होगी। भारत की अर्थव्यवस्था में ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट के स्थान पर जल्द से जल्द अर्थशास्त्रियों की तैनाती करनी होगी। जो सरकार को समय-समय पर सही सलाह दे सकें। जिस तरह की स्थिति वैश्विक स्तर पर बन रही है, उस पर काफी गंभीरता के साथ चिंतन मनाने करते हुए सरकार को दीर्घकालिक नीतियां बनानी होंगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का असर भारत सहित दुनिया के सभी देशों में होने जा रहा है। इसलिए भारत सरकार को और भी सजग रहने की जरूरत है।

अब महिलाओं के प्रति बदलना होगा नजरिया

राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम है कार्रवाई में तेजी लाना। वर्ष की 2025 थीम में सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण होगी। जो वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों की प्रगति को रोकने वाली प्रणालीगत बाधाओं को तोड़ने के लिए समावेशन और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालती। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,05,861 अपराध दर्ज किए गए। इन अपराधों में बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न, घेरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, और अपहरण जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले घेरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के सामने आए हैं। जो समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हमारी उदासीनता को दर्शाते हैं। इससे पहले 2022 में 4,45,256 मामले, 2021 में 4,28,278 मामले 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रति एक लाख आवादी पर महिला अपराध की दर 66.4 फीसदी रिकॉर्ड की गई। ऐसे मामलों में आरोप पत्र दायर करने की दर 75.8 फीसदी रही। एनसीआरबी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा 31.4 फीसदी जुर्म पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता किए जाने के थे। इसके बाद अपहरण के 19.2 फीसदी, शील धंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमले के 18.7 फीसदी और दुष्कर्म के 7.1 फीसदी मामले रहे। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल देश में जितने मामले सामने आए उनमें से 2,23,635 यानी 50 फीसदी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 2021 में महिला अपराध के 56,083 और और 2020 में 49,385 मामले दर्ज किए थे। इसके बाद राजस्थान (40,738 और 34,535), महाराष्ट्र (39,526 और 31,954), पश्चिम बंगाल (35,884 और 36,439) और मध्य प्रदेश (30,673 और 25,640) रहे थे।

भारत में वर्षों से महिला सुरक्षा से जुड़े कई कानून बने हैं। इसमें हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इंडियन पीनल कोड 1860, मैटरनिटी बेनफिट एक्ट 1861, क्रिस्चियन मैरिज एक्ट 1872, मैरिड वीमेन प्रापर्टी एक्ट 1874, चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, फारैन मैरिज एक्ट 1969, ईंडियन डाइवर्स एक्ट 1969, मुस्लिम बुमन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल कमीशन फॉर बुमन एक्ट 1990, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ बुमन एट वर्किंग प्लेस एक्ट 2013 आदि। इसके अलावा 7 मई 2015 को लोक सभा ने और 22 दिसम्बर 2015 को राज्य सभा ने जूबनाइल जस्टिस बिल में भी बदलाव किया है। इसके अन्तर्गत यदि कोई 16 से 18 साल का किशोर जघन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी कठोर सजा का प्रावधान है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर से पूरे साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें मिलीं। इसमें 16 हजार से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश राज्य से आए हैं। आंकड़े हीरान कर देने वाली हैं। क्योंकि आयोग में ये शिकायत मरिमा के अधिकार कीटैगरी के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2,411 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 1,343, बिहार में 1,312 और मध्य प्रदेश में 1,165 इतने मामले दर्ज किए गए हैं। 2023 के 12 महीने बाद जारी किए गए इस रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध में दर्हेज उत्तीड़न और दुष्कर्म जैसे अपराध दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की यह रिपोर्ट महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता दिखाती है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में यौन उत्तीड़न के 805 मामले, साइबर अपराध के 605 मामले, पीछा करने की 472 मामले और समान से जुड़े अपराध के खिलाफ 409 शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अराधों में बलात्कार के

मामले भी शामिल हैं। साल 2023 में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के 1,537 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत 8,540, घेरेलू हिस्से के 6,274, दहेज उत्पीड़न के 4,797, छेड़छाड़ के 2,349, और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनत के 1,618 मामले दर्ज किए गए। 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2022 की तुलना में कम हुए हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 30,864 मामले दर्ज किए गए थे। जबकि 2023 में यह संख्या घटकर 28,278 हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल 2022 के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब 30,864 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो 2014 के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रवर्धन किये हैं। आज भारत में महिलायें पहले की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित हैं।

हम एक तरफ महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देकर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ अत्याचार की घटनाओं में भी लगातार बढ़ावेतरी हो रही है। आये दिन हमें महिलाओं के साथ बलात्कार, दुर्व्वचार होने की घटनाये सुनने को मिलती रहती है। ऐसी घटनाओं से महिला सशक्तिकरण के अभियान को धक्का लगता है। देश में महिलाओं के प्रति खराब होते माहौल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं अपितु हर आम आदमी की भी है। हम सभी को आगे आकर महिला सुरक्षा की लडाई में महिलाओं का साथ देना होगा तभी देश की मातृ शक्ति सर उठा कर शान से चल सकेगी। अब महिलाओं को समझना होगा कि आज समाज में उनकी दयनीय स्थिति समाज में चली आ रही परम्पराओं का परिणाम है। इन परम्पराओं को बदलने का बीड़ा स्वयं महिलाओं को ही उठाना होगा। तभी समाज में उनके प्रति सोच बदल पायेगी। (लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

